प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक- 18 मार्च, 2021**

विषयः- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशा-निर्देशों में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या-1194/वि0का0/मु0मं0आ0यो0-ग्रा0/2020, दिनांक 04.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के कतिपय वर्ग के लोगों को उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 02.02.2018 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-3.3 में वनटांगिया/मुसहर वर्ग के साथ प्राथमिकता सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक 02.02.2018 एवं सपठित शासनादेश संख्या-04/2019/80/38-4-19-123(विविध)/2017, दिनांक-04.02.2019 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त गरीबी के दृष्टिकोण से निम्न श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. सहरिया
2. कोल
3. थारू

3- उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशा-निर्देशों में समय-समय पर आवश्यक संशोधन के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 09/2021/150(1)/38-4-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0 प्र0।
3. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0 प्र0।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0 प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, नियोजन, उ0 प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0 प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
10. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
11. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
16. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
18. गार्ड फाइल।

सुधीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।